(1)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 55/2019 (Bank Case)

आन्ध्रा बैंक कोटा शाखा, रंगबाडी रोड कोटा (राज0) जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी बैंक.

बनाम

1. वाहिद अली उर्फ आसिफ अली पुत्र हाशिम अली – निवासी मकान सं0 सी–25 पंचवटी, सुभाष कॉलोनी, सकतपुरा कोटा, राजस्थान
2. मैसर्स आसिफ स्टोन पॉलिशर जरिये प्रोपराईटर वाहिद अली उर्फ आसिफ अली पुत्र हाशिम अली निवासी मकान सं0 सी–25 पंचवटी, सुभाष कॉलोनी, सकतपुरा कोटा, राजस्थान **(ऋणी व बंधककर्ता)**
3. श्रीमती मुर्सरत जहां पत्नी वाहिद अली उर्फ आसिफ अली निवासी मकान सं0 सी–25 पंचवटी, सुभाष कॉलोनी, सकतपुरा कोटा, राजस्थान (जमानती)

– अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 **(The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)**

उपस्थित:

1. श्री महेन्द राय जैन, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांक: 14.05.2019

प्रार्थी आन्ध्रा बैंक कोटा शाखा, रंगबाडी रोड कोटा से अप्रार्थी सं0 1 व 2 को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसकी जमानत अप्रार्थी क्रम 3 श्रीमती मुसर्रत जहां ने दी थी । इस हेतु ऋण एवं जमानती ने आवश्यक दस्तावेज प्रार्थी बैंक के पक्ष मे निष्पादित किये थे । उक्त ऋण खातों का विवरण निम्नानुसार है ।

(अ) ऋण खाता सं0 180530100002227 लिमिट 10.00 लाख रूपये जिसमे दिनांक 31.08.2018 को 9,89,230/रूपये (अक्षरे रूपये नो लाख नेवांसी हजार दो सौ तीस मात्र) बकाया है।

(ब) ऋण खाता सं0 180530100002236 लिमिट 20.00 लाख रूपये जिसमे दिनांक 31.08.2018 को 20,40,081/रूपये (अक्षरे रूपये बीस लाख चालिस हजार इक्यासी) बकाया है।

(स) ऋण खाता सं0 180531100000478 लिमिट 13.00 लाख रूपये जिसमे दिनांक 31.08.2018 को 13,30,246/रूपये (अक्षरे रूपये तेरह लाख तीस हजार दो सौ छियालिस मात्र) बकाया है।

जिला कलेक्टर कोटा

अप्रार्थी नं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अपनी अचल सम्पत्ति कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा से जारी भू–आवंटन पत्र कमांक/2209 दिनांक 21.06.03 से भूखण्ड सं0 27 पंचवटी /सकतपुरा कोटा क्षेत्रफल 106.67 वर्गगज का श्री आसिफ अली उर्फ वाहिद अली पुत्र हाशिम अली के नाम जारी किया हुआ है व नगर विकास न्यास कोटा के भू आवंटन पत्र कमांक/2208 दिनांक 21.6.2003 भूखण्ड सं0 26 पंचवटी/सकतपुरा कोटा क्षेत्रफल 125 वर्गगज का श्री वाहिद अली पुत्र हाशिम अली के नाम से जारी किया हुआ है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष

Scanned by CamScanner

में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खातों को दिनांक. 31.08.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 43,59,557 (अक्षरे रूप्ये तियालिस लाख उन्सठ हजार पांच सौ सत्तावन मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.08.2018 तक शेष देय है इसके पश्चात ब्याज एवं अतिरिक्त खर्चे पूर्ण भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र INDIAN Express में दिनांक 20.11.2018 को एवं हिन्दी समाचार पत्र हाडोती केसरी में दिनांक 20.11.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र INDIAN Express में दिनांक 20.11.2018 को एवं हिन्दी समाचार पत्र हाडोती केसरी में दिनांक 20.11.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.09.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र INDIAN Express में दिनांक 20.11.2018 को एवं हिन्दी समाचार पत्र हाडोती केसरी में दिनांक 20.11.2018 को प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं **अचल सम्पत्ति कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा से जारी भू–आवंटन पत्र कमांक/2209 दिनांक 21.06.03 से भूखण्ड सं0 27 पंचवटी /सकतपुरा कोटा क्षेत्रफल 106.67 वर्गगज का श्री आसिफ अली उर्फ वाहिद अली पुत्र हाशिम अली के नाम जारी किया हुआ है व नगर विकास न्यास कोटा के भू आवंटन पत्र कमांक/2208 दिनांक 21.6.2003 भूखण्ड सं0 26 पंचवटी/सकतपुरा कोटा क्षेत्रफल 125 वर्गगज का श्री वाहिद अली पुत्र हाशिम अली के नाम से जारी किया हुआ है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner